12/2	वकील वादी अनु०/ वकील वादी को एवं वादी स्वयं को न्यायालय समय के दौरान बार-बार आवाज लगाई, उसके बावजूद भी न तो वादी और ना ही उसके अधिवक्ता उपस्थित हुए प्रतीत होता है कि वादी एवं उसके पैरोकार अपने प्रकरण को लेकर सजग नहीं है अतः प्रकरण अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो और नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो॥

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)